लाइसेंस के आयात करने की अनुमति दी गई है जिनसे कम से कम और पांच वर्ष तक काम लिया जा सकता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी की प्रवृत्तियां के कारण नवीन प्रौद्योगिकी वाली विभिन्न पुरानी मशीनें अत्यंत कम कीमत पर उपलब्ध हैं । अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी होने के निमित्त हमारी प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का आयात बेहद उपयोगी हो सकता है ।

Amendment to Minimum Wages Act and Contract Labour Act

4340. SHRI O. P. KOHLI : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to amend the Minimum Wages Act and the Contract Labour Act and to introduce new legislation for agricultural and construction workers to improve their socio-economic conditions;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) Yes, Sir.

(b) The details of proposals relating to amendments and new enactments are yet to be finalized.

(c) Does not arise.

मध्य प्रदेश में बाल श्रमिक

4341. **श्री अजीत जोगी** : क्या श्रम मंत्री 7 मार्च, 1994 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 165 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या कितनी हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): दस वार्षिक जनगणना के द्वारा प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध होते हैं । 1981 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 1,698,597 बाल श्रमिक थे । 1991 की जनगणना को अभी प्रकाशित किया जाना है ।

बेरोजगारी में वृद्धि होना

4342. **श्री अजीत जोगी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई कार्यशाला में बेरोजगारी में भारी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि होने का अनुमान हैं; और

(ग) बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का सामना करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एवं (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने "संरचनात्मक समायोजन के विशेष आयाम" शीर्षक के अंतर्गत दिसम्बर, 1991 में नई दिल्ली में एक सेमिनार संयुक्त रूप से आयोजित किया था । सेमिनार में प्रस्तुत दस्तावेजों में से एक दस्तावेज में वैकल्पिक धारणाओं के अंतर्गत श्रम, बल और रोजगार में वृद्धि के कुछ प्रक्षेपण प्रस्तुत किये गये थे । इनके अनुसार, 1991-92 में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 70 लाख से 160 लाख, 1992-93 में 110 लाख से 220 लाख और 1993-94 में 120 लाख से 250 लाख के बीच है ।

(ग) आठवीं योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है और योजना नीति में सन् 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार स्थिति प्राप्त करना परिकल्पित है ।

रोजगार कार्यालयों द्वारा आदिवासी उम्मीदवारों के नाम न भेजे जाना

4343. **श्री अजीत जोगी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ राज्यों में रोजगार कार्यालयों द्वारा आदिवासी उम्मीदवारों के नाम नियुक्तियों के लिए अग्रेषित नहीं किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों में आदिवासियों को विशिष्ट प्राथमिकता नहीं दी जाती है ;

(ग) क्या सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों में रोजगार कार्यालयों द्वारा आदिवासियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) रोजगार कार्यालयों की भूमिका उम्मीदवारों को मात्र अधिसूचित रिक्तियों के लिए